न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बालेसर (जिला – जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी :–श्री भवानी सिंह , आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 18/2016
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2016/00108

अपीलान्ट

1. लाडूकंवर पुत्री पुंजराजसिंह पत्नी राणीदानसिंह निवासी पंण्डितो का बास हाल निवासी चामू तहसील बालेसर जिला जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्टस

1. पृथ्वीसिंह पुत्र पुंजराजसिंह निवासी पंण्डितो का वास चामू
2. चैतनकंवर पुत्री पुंजराजसिंह पत्नी अचलसिंह निवासी पंण्डितो का वास हाल निवासी जेठानिया तहसील शेरगढ जिला जोधपुर
3. मांगू कंवर पुत्री पुंजराजसिंह पत्नी जबरसिंह निवासी पंण्डितो का वास हाल निवासी रामासनी बाला तहसील सोजत जिला पाली
4. राजूकंवर पुत्री पुंजराजसिंह पत्नी कानसिंह निावसी पंण्डितो का वास निवासी रामासनी बाला तहसील सोजत जिला पाली
5. गीतादेवी पत्नी जवाराराम जाति जाट निवासी बारनाउ तहसील बालेसर हाल चामू
6. दाखु कंवर पत्नी सगतसिंह निवासी पंण्डितो का वास तहसील बालेसर हाल चामू जिला जोधपुर
7. सरपंच ग्राम पंचायत बारनाउ पंचायत समिति बालेसर हाल चामू जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम विरूद्ध ग्राम पंचायत बारनाउ नामान्तरकरण संख्या 484 दिनांक शुन्य के विरूद्ध अपील

अधिवक्तागण :–

1. अपीलान्ट अधिवक्ता श्री देवेन्द्रसिंह।
2. रेस्पोडेन्टगण 2 से 4 अधिवक्ता श्री लक्ष्मणसिंह।
3. रेस्पोडेन्टगण 1, 5, 6 अनुपस्थित एक पक्षीय कार्यवाही।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 05/02/2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा एक म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 का पेश किया था जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है:–

राजस्व ग्राम पंण्डितो का बास वर्तमान राजस्व गाम बीगादेवनगर पटवार हल्का बारनाउ तहसील बालेसर जिला जोधपुर की सरहद मे कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 402, 526, 398 भूमि मु. नन्दकंवर बेवा पुजराजसिंह के नाम से संयुक्त खातेदारी मे दर्ज थी तथा खातेदार नन्दकंवर बेवा पुंजराजसिंह फौत होने पर तत्कालीन हल्का पटवारी ने उनके जायन्दा पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का नाम राजस्व रेकर्ड मे अंकित कर आ[illegible] द्वारा [illegible]3.02.2004 को जॉच किया सही पाया गया का अंकन कर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत कि[illegible] जा[illegible]नस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामान्तकरण सरपंच द्वारा दिनांक शुन्य को स्वीकृत किया है। [illegible] द्वारा नामान्तकरण खोलने पर किसी प्रकार की कोई जांच नही की न ही [illegible] प्राप्त किया तथा न ही [illegible]आई द्वारा खतौनी इन्द्राज से मिलान कर सही पाया अंकित कि[illegible] है तथा आर. आई व अधीनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.12.24 16:05:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

Scanned with OKEN Scanner

पालय द्वारा वारीसान बाबत किसी पकार की कोई जांच नही की गई बिना जांच किये ही अपीलाधीन नामान्तकरण पारित किया गया है। नन्दकंवर फौत होने पर सभी वारीसान अपीलान्ट की माता स्व. नन्दकंवर के वारीशान अपीलान्ट, रेस्पोडेन्ट संख्यां 1 से 4 का नाम अमल दरामद करना चाहिए था। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा तत्कालीन हल्का पटवारी से मिलीभगत कर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम से नामान्तकरण भरा गया हैं। अपीलान्ट द्वारा नामान्तकरण संख्या 484 दिनांक शुन्य जो ग्राम पंचायत बारनाउ द्वारा पारित किया गया है को अपास्त करने हेतु अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील के साथ अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसमें अपीलान्ट ने निवेदन किया है कि अभी हाल ही मे दिनांक 04.04.2016 को अपीलान्ट मे जमाबन्दी की नकल ली तो पता चला तब हल्का पटवारी से अपीलाधीन नामान्तकरण की नकल दिनांक 04.04.2016 को प्राप्त की इससे पूर्व अपीलान्ट को अपीलाधीन नामान्तकरण बावत् कानूनी रूप से कोई जानकारी नही थी तथा जानकारी के दिनांक से उक्त नामान्तकरण अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत है। अपीलान्ट ग्रामीण परीवेश की अनपढ औरत है तथा काश्तकार महीला है तथा कानून की समुचित जानकारी नही है। अपीलान्ट द्वारा अपील को अन्दर म्याद शुमार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अपील दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्टगणों को नोटिस जारी किया गया। रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 से 4 के अधिवक्ता द्वारा जवाब न्यायालय मे पेश नही करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 का जवाब बन्द किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 5, 6 अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

पत्रावली में बहस की गई। बहस सूनी गई। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। हमने उक्त पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के संलग्न धारा 05 म्याद का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका अवलोकन किया गया। जिसमें अपीलान्ट द्वारा यह अंकित किया गया है कि अपीलान्ट को राजस्व रेकर्ड की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 04.04.2016 को हुई। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के आधार पर अपीलान्ट का धारा 05 म्याद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और उक्त अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि स्व. नन्दकंवर बेवा पुजराजसिंह के विधिक वारीसों की बिना जॉच किये अपीलाधीन नामान्तकरण पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय (ग्राम पंचायत) द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 484 दिनांक शुन्य प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के मध्यनजर विधि विपरित होने के कारण न्यायसंगत प्रतीत नही होता है जो बहाल रखे जाने योग्य नही है।

अतः अपील अपीलान्टगण की स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बारनाउ द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण 484 दिनांक शुन्य मौजा पण्डितो का बास को अपास्त किया जाकर तहसीलदार चामू को इस आश्य के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वो इस प्रकरण में स्व. नन्दकंवर बेवा पुजराजसिंह के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसो की जांच करते हुए समस्त खातेदारो को नोटिस जारी करते हुए आदेश पारित कर विधिक वारिसों के नाम नामान्तरकरण भरने की कार्यवाही करें। आदेश की प्रति तहसीलदार बालेसर को प्रेषित होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। खर्चा पक्षकारन अपना–अपना वहन करे।

फैसला आज दिनांक 5/2/25 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.12.24 16:05:10 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

Scanned with OKEN Scanner